

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इलाहाबाद

पत्र संख्या : एफपी / सीएफओ / आई-3 / 2015

दिनांक : 01/12/2018

सेवा में,

श्री. श्री. नृपजित पाण्डेय, 2000

शाहपुर पीपलमंडल इलाहाबाद 201001

विषय:- श्री. श्री. नृपजित पाण्डेय, 2000, शाहपुर पीपलमंडल इलाहाबाद में लगी अस्थायी अग्निशमन व्यवस्था/उपकरणों का नवीनीकरण अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रबन्धक का प्रार्थना पत्र संख्या निल दिनांक 30.4.18

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त श्री. श्री. नृपजित पाण्डेय का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी सिविल लाइन्स लाल जी गुप्ता के द्वारा कराया गया तो उनसे प्राप्त संस्तुति सहित आख्या के अनुसार उक्त श्री. श्री. नृपजित पाण्डेय में अस्थायी अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में उपलब्ध पाये गये तथा उसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है। फायर सर्विस के वाहन आसानी पूर्वक उक्त स्थल तक पहुँच सकते हैं।

अतः अग्नि शमन अधिकारी सिविल लाइन्स लाल जी गुप्ता द्वारा प्राप्त संस्तुति सहित आख्या के आधार पर उक्त श्री. श्री. नृपजित पाण्डेय में लगी अग्निशमन व्यवस्था/उपकरणों का नवीनीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जो एक वर्ष हेतु मान्य होगा तथा आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से व अपने का प्रति वर्ष (एक वर्ष के अन्दर) में लगा अस्थायी अग्निशमन उपकरणों का अग्निशमन विभाग से रिफिलिंग/टेस्टिंग कराकर तथा उसका शुल्क राजकीय कोष में जमा कराकर प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निर्गत किया गया अग्निशमन विभाग का नवीनीकरण प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

For BRIJ NATH DINA NATH MEMORIAL
EDUCATIONAL SOCIETY


VICE-CHAIRMAN

(रवीन्द्र शंकर सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद

प्रतिलिपि- आवेदक को अनुपालनार्थ हेतु।